



Neutral Citation No. -2026: AHC:126690

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या-19391/2026

फहीमुद्दीन उर्फ कैमुद्दीन उर्फ लाला

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

: मनोज कुमार सिंह, सर्वेश कुमार दुबे

विपक्षी के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -5

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 0123/2026, अंतर्गत धारा 2/3, उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज-विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना- सुमेरपुर, जनपद- हमीरपुर, में विचारण लंबित रहने की अवधि में जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि, गैंग-चार्ट के अनुसार, आवेदक को दो आधारभूत आपराधिक मामलों में संलिप्त दर्शाया गया है तथा उक्त मामलों में, उसे संबंधित न्यायालय द्वारा पूर्व में ही जमानत प्रदान की जा चुकी है। उक्त मामलों के अतिरिक्त, आवेदक का दो अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है तथा दोनों मामलों में, उसे विचारण न्यायालय द्वारा जमानत का लाभ प्राप्त है। यह भी कहा गया कि पुलिस की दुर्भावना एवं शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण के कारण आवेदक को वर्तमान प्रकरण में मिथ्या रूप से अभियुक्त बनाया गया है। आवेदक किसी गिरोह का सक्रिय सदस्य नहीं है। वह दिनांक 23.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि, जमानत पर रिहा होने की दशा में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का विरोध किया।
5. अभिलेख पर उपलब्ध समस्त तथ्यों, प्रकृति तथा अभिलेख से परिलक्षित साक्ष्यों के समग्र अवलोकन तथा अधिनियम की धारा 19(4) के अधीन निहित प्रावधानों पर सम्यक् विचार करने के उपरांत तथा मामले के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक को जमानत का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित होगा। अतः, जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
6. आदेशित किया जाता है कि आवेदक- **फहीमुद्दीन उर्फ कैमुद्दीन उर्फ लाला** उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार सममूल्य के व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा दो सक्षम जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए :—
 - (i) आवेदक किसी ऐसे व्यक्ति को, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित हो, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कोई प्रलोभन, भय, दबाव, अथवा आश्वासन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय अथवा अन्वेषण अधिकारी के समक्ष सत्य तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विरत हो जाए अथवा साक्ष्य के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ की जा सके।
 - (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव/भयभीत नहीं करेगा।
 - (iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर, विशेष रूप से (I) सुनवाई शुरू करने (ii) आरोप विरचित करना तथा (iii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अंतर्गत उसके कथन के अभिलेखन के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
 - (iv) आवेदक एक लिखित वचन-पत्र प्रस्तुत करेगा कि जब अभियोजन साक्षी विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, तब साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर वह स्थगन की प्रार्थना नहीं करेगा।
 - (v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर, स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।
7. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन किए जाने की स्थिति में, यह विचारण न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।
8. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल जमानत आवेदन के निस्तारण के प्रयोजनार्थ हैं तथा इन्हें मामले के गुण-दोष पर न्यायालय की अंतिम अभिव्यक्ति नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने हेतु पूर्णतः स्वतंत्र रहेगा और इस आदेश में व्यक्त किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा।
अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10 जून, 2026

(संजीव कुमार, न्यायमूर्ति)

Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।